रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042026-272154
CG-DL-E-29042026-272154

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 291] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 27, 2026/वैशाख 7, 1948
No. 291] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 27, 2026/VAISAKHA 7, 1948

जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2026

फा. सं. सीयूज/रेग/ गज/2026/266.—जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति (विजिटर) के द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार संविधि 2 खंड (4) में निम्नलिखित संशोधन किया गया है जिसको सामान्य जानकारी के लिए प्रकशित किया जा रहा है ।

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६ के परिनियम २(४) में संशोधन।

क्रम संख्या	संशोधित
1	**कुलपति की नियुक्ति** कुलपति, अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्षो की अवधि तक अथवा सत्तर वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर बने रहेगें, और वह एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे । परन्तु, उक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के बावजूद, जब तक उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती और वह कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेते, तव तक वह कुलपति पद पर बने रहेगें ।

	परन्तु, इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि कुलाध्यक्ष (विजिटर) किसी कुलपति को, उनकी पदावधि समाप्त हो जाने के पश्चात, एक वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि तक पद पर बने रहने का निर्देश दे सकते है, जो की वह निर्दिष्ट करेंगें ।

प्रोफेसर यशवंत सिंह, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./60/2026-27]

CENTRAL UNIVERSITY OF JAMMU

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2026

F. No. **CUJ/Regr/Gaz./2026/266**.— As per the approval given by the Hon'ble Visitor the following amendment has been made in the Central University Jammu Statute 2 clause (4).

Amendment to the Statute 2(4) of Central Universities Act 2009

S. No.	Amendment
1	**Appointment of Vice Chancellor** The Vice Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier, and he shall be eligible for re-appointment for another term; Provided that notwithstanding the expiry of the said period of 5 years, he shall continue his office until his successor is appointed and enter upon his office; Provided further that the Visitor may direct any Vice Chancellor after his term has expired, to continue in office for such period, not exceeding a total period of one year, as may be specified by him.

Prof. YASHWANT SINGH, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./60/2026-27]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.04.29 14:34:16 +05'30'